

20-8-24

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण  
से कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नहीं लिखा  
जा सका है। पत्रावली में बहस सुने हुए एक माह  
से अधिक समय हो चुका है। प्रकरण से उभय पक्ष  
की मुना. मजिद बहस सुनी गई। वादवादी जन  
का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।  
विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल  
पत्रावली किया गया। पत्रावली पेंसल शुमार  
हो कर नम्बर से कम हो।

पं